

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

प्रपत्र-6

निम्नलिखित प्राध्यापको को उनके नाम के समक्ष अंकित तिथि को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम व्याख्याता पदस्थापन स्थान	विषय	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1	धनश्याम शर्मा, राउमावि सारोली, उदयपुर	अर्थशास्त्र	01.07.56	30.06.16
2	बलवीर सिंह, राउमावि नौमेडा, (फागी), जयपुर	अर्थशास्त्र	10.10.56	31.10.16

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर नामित कार्मिको के विरुद्ध आज तक:-

- 1 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 2 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 19 के अधीन कोई विशेष प्रकिया कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 3 कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(बी.एल. स्वर्णकार)

आई.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर
दिनांक 15/7/16

क्रमांक:शिविरा/माध्य/संस्था/सी- 5/ सेवानिवृत्त /2016/
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- 1 शिक्षा उप निदेशक माध्यमिक
- 2 जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक
- 3 अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा।
- 4 सम्बन्धित संस्था प्रधान कार्मिक
- 5 निजी एवं रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर